



कार्यालय मुख्य वनसंरक्षक बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर (छ.ग.)

सिंधी कॉलोनी, जरहाभाठा, बिलासपुर (छ.ग.) पिन कोड-495001

फोन : 07752-227624, फैक्स : 07752-221385 E-mail : ccf.bilaspur-cg@gov.in

क्रमांक / तक. / 1597

बिलासपुर, दिनांक / 3.07.2020

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक

(भू-प्रबंध)

अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

विषय :-

Diversion of forest land non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for MGR (Merry-Go-Round) Railway line of Talaipalli Coal Mining Project of NTPC Limited area- 8.795 ha.- regarding.

पंजीयन क्रमांक - FP/CG/RAIL/35461/2018

संदर्भ :-

आपका पत्र क्र. / भू-प्रबंध/विविध/ एल.एम.-115-752/3530 रायपुर दिनांक 17.10.2018

एवं वनमण्डलाधिकारी रायगढ़ का पत्र क्र./तक./761 दिनांक 02.07.2020

उपरोक्त विषयांतर्गत एन.टी.पी.सी. तिलाईपाली कोल माइनिंग द्वारा रायगढ़ जिले के रायगढ़ वनमण्डल अंतर्गत MGR (Merry-Go-Round) Railway line of Talaipalli Coal Mining Project हेतु कुल क्षेत्र 8.795 हे. वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव 44 बिन्दुओं की चेक लिस्ट अनुसार विधिवत अभिलेखों को संधारित कर व्यपवर्तन प्रस्ताव निम्नानुसार है -

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रस्ताव			
क्र.	अभिलेख का विवरण	पृ.क्र.	विवरण
1	आवेदक विभाग का मांग पत्र	01-03	फार्म A भाग -1 में संलग्न है ।
2	प्रपत्र । में प्रस्ताव का रजिस्ट्रेशन कोड (वृत्त कोड / वन मण्डल कोड / शाखा कोड / वर्ष / पंजीयन क्र	04-08	पंजीयन क्र. FP/CG/RAIL/35461/2018 Date 30.04.2018 Attached
3	वन क्षेत्र विवरण	09	संलग्न है ।
4	गैर वन क्षेत्र विवरण	10	संलग्न है ।
5	प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे आफ इंडिया का मूल Printed टोपोशीट 1: 50000 स्केल पर नक्शा ।	11-18	संलग्न है ।
6	वन क्षेत्र का इंडेक्स मैप	19-24	संलग्न है ।
7	प्रपत्र -4 में प्रस्ताव	25-30	संलग्न है ।
8	प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप	31-32	संलग्न है ।

9	वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र ।	33	संलग्न है ।
10	न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोग प्रमाण पत्र	34	संलग्न है ।
11	पर्यावरण संरक्षण स्वीकृति प्रमाण पत्र	35-48	आवश्यकता नहीं है ।
12	वृक्ष विदोहन विवरण (प्रपत्र 1ए एवं 1बी में)	49-63	संलग्न है ।
13	कास्ट / बेनिफिट एनालिसिस	64	आवश्यकता नहीं है ।
14	चयनित गैर वन क्षेत्र (वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु) का विवरण	65	आवश्यकता नहीं है । बिगड़े वन क्षेत्र में प्रस्तावित है ।
15	गैर वन क्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा	66	आवश्यकता नहीं है ।
16	स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना(शासन द्वारा अनुमोदित दरों पर मय 10% वार्षिक वृद्धि के)	67-98	संलग्न है ।
17	वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र	99	संलग्न है ।
18	अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यों का विवरण	100	संलग्न है ।
19	अधिनियम उल्लंघन के अधिकारियों का विवरण	101	संलग्न है ।
20	अधिकारियों के विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही	102-104	संलग्न है ।
21	गैर वन भूमि अनुपलब्धता मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र	105	आवश्यकता नहीं है ।
22	कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान	106	संबंधित नहीं है ।
23	रिकलेमेशन प्लान	107	संबंधित नहीं है ।
24	माइनिंग प्लान IBM नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल माइनिंग प्रकरण में)	108	संबंधित नहीं है ।
25	व्यवस्थापन प्लान	109	संबंधित नहीं है ।
26	वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र - III में)	110-115	संलग्न है ।
27	ऐतिहासिक प्रमाण पत्र	116	संलग्न है ।
28	संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र	117	आवश्यकता नहीं है ।
29	जिले की कुल वन भूमि रकबा हे. में	118	152959.600 हे.
30	व.स.अ. - 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे0 में	119-121	3381.001 हे.
31	व.स.अ.-1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी Category की कुल प्रत्यावर्तित वन भूमि रकबा हे. में ।	122	0.820 हे. सूची संलग्न है ।
32	प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी	123	संलग्न है ।
33	15 कि.मी. परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हांकन (केवल खनन प्रकरण में)	124	संबंधित नहीं है ।

34	वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र	125-128	संलग्न है।
35	राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र	129-130	संलग्न है।
36	माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र	131-132	संलग्न है।
37	Clearance under FC Act, 1980: Deposition of funds with the Ad-hoc CAMPA: Remittances to precede 2nd stage clearance.	133	संलग्न है।
38	A detailed note on Soil Productivity or the lack of it	134	संलग्न है।
39	परियोजना के किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र	135	संलग्न है।
40	Diversion of large area (more then 500 ha.) of forest land for mining and other non-forestry purposes under the Forest (Conservation) Act 1980 - Stipulation of additional condition (The user agency shall establish and operate a Vocational Training Institute)	136	संबंधित नहीं है।

राज्य शासन से संबंधित अभिलेख

41	पंजीयन क्रमांक — पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क कर विवरण (प्रपत्र — में)	137-138	संलग्न है।
42	वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत	139	आवश्यकता नहीं है।
43	विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा तीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण	140	संबंधित नहीं है।
44	प्रस्ताव में अन्य (Misc.) कमियों का विवरण :-	141	—

संलग्न :- प्रस्ताव एवं डी.जी.पी.एस. सर्वे रिपोर्ट 4 प्रतियों में।

मुख्य वनसंरक्षक
बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर

पृ. क्र./तक.अधि./ 1598

/2020/रायगढ़, दिनांक :- 13-07-2020

प्रतिलिपि :-

- वनमण्डलाधिकारी रायगढ़ वनमण्डल, रायगढ़ की ओर सूचनार्थ।
- General Manager**, NTPC Talaipalli Coal Mining Project, Lailunga Road, Gharghoda, Raigarh Chhattisgarh की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य वनसंरक्षक
बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर

मुख्य वनसंरक्षक अधिनियम, 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग-3

(संबंधित वनसंरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14. स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित मुख्य वनसंरक्षक ने निरीक्षण किया है। (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गए प्रक्षेपों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

आवेदनकर्ता, **General Manager**, NTPC Talaipalli Coal Mining Project, Lailunga Road, Gharghoda, Raigarh Chhattisgarh के रेलवे लाइन हेतु 8.795 हे. वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग के लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत आवेदित आरक्षित एवं राजस्व वनभूमि 8.795 हे. Railway Line का निरीक्षण नहीं किया गया है।

15. क्या संबंधित मुख्य वनसंरक्षक भाग (ख) में दी गई सूचना और उप वनसंरक्षक के सुझावों से सहमत है।

हाँ

16. प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित मुख्य वनसंरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

तेन्दुआ, भालू तथा अन्य वन्यप्राणी विचरण हेतु रेलवे लाइन के चिन्हित आवागमन स्थानों में आवश्यकता पड़ने पर अंडर/ओवर पासस निर्माण करना प्रस्तावित है। प्रकरण में वन्यप्राणी योजना तैयार कर पृथक से अनुमोदन हेतु प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, वन्यप्राणी को प्रेषित किया जायेगा।

अनुशंसित


(अनिल सोनी) भा.व.से.

मुख्य वन संरक्षक
बिलासपुर वृत्त बिलासपुर

